

24th January National Girl Child Day

National girl child day is celebrated every year on **24th of January** as a national observance day for the girl child. It has been started as a national girls development mission by the Government of India. National Girl Child Day celebration was started by the **Women and Child Development Ministry since 2008** to celebrate as the national observance.

(राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष 24 जनवरी को लड़की के लिए एक राष्ट्रीय आश्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय लड़कियों के विकास मिशन के रूप में शुरू किया गया है.राष्ट्रीय बालिका दिवस का उत्सव महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुष्ठान के रूप में मनाने के लिए 2008 से शुरू किया था.)

Objectives to celebrate National Girl Child Day:(राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के उद्देश्य)

It is celebrated as a national observance to increase the consciousness of the people and offer new opportunities to the girl child in the society.

(यह लोगों की चेतना को बढ़ाने और समाज में बालिका के लिए नए अवसर प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता है)

To remove all the inequalities faced by the girl children of the Indian society.

(भारतीय समाज में बालिका द्वारा सामना की जा रही सभी असमानताओं को दूर करने के लिए)

To make certain that every girl child is getting proper respect and value in the Indian society.

(यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर बालिका को भारतीय समाज में उचित सम्मान और महत्व मिल रहा है)

To address the girl children issues associated to their health, respect, education, nutrition and etc.

(बच्चों के स्वास्थ्य, सम्मान, शिक्षा, पोषण और आदि से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने के लिए)

Initiative by Government Of India:(भारत सरकार द्वारा पहल:)

It is very necessary for the girls to get full potential, safe and enabling environment. They should be aware of all their legal rights and the facts of life, good education, nutrition and health care rights as well as about legislations including **Domestic Violence Act 2009, Prohibition of Child Marriage Act 2006** and **Dowry Prohibition Act 2006** in order to get their proper rights and face all the challenges in life.

(लड़कियों को पूरी क्षमता, सुरक्षित और सक्षम माहौल प्राप्त करना बहुत जरूरी है, उन्हें अपने सभी कानूनी अधिकारों और जीवन के तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए जैसे अच्छी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार के साथ-साथ अपने उचित अधिकार पाने के लिए और जीवन में सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए **घरेलू हिंसा अधिनियम, 2009, बाल विवाह अधिनियम 2006** और **दहेज निषेध अधिनियम 2006** का ज्ञान होना आवश्यक है)

For this Government of India has taken various steps by declaring variety of schemes to make the girl child status better. Some of are:

(इस भारत सरकार ने लड़कियों की बाल स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को घोषित करके विभिन्न कदम उठाए हैं. उनमें से कुछ हैं:)

1) The government has blocked the Determination of the Sex when the Women become pregnant.

(जब महिलाएं गर्भवती होने पर सरकार ने लिंग के निर्धारण को प्रतिबंधित कर दिया है)

2) Girls Child marriages are restricted by the Government.

(लड़कियों के बाल विवाह सरकार द्वारा प्रतिबंधित हैं)

3) Care should be taken of the pregnant Women for the Child to remain healthy and Strong in their Stomach.

(उनके पेट में शिशु को स्वस्थ और सशक्त रखने के लिए गर्भवती महिलाओं कि देखभाल की जानी चाहिए)

4) The government has made the scheme of "Save a Girl Child" for announcing the people to get them in a right way to accept the Girl Child.

(सरकार ने "बेटी बचाओ" की शुरुआत की है ताकि जनता में बालिका शिशु को सही तरीके से स्वीकार किया जा सके)

5) The government has declared to provide the Girls education till the 14 years of age for nurturing the good rite in them.

(सरकार ने घोषणा की है कि अच्छे अनुष्ठान के पोषण के लिए 14 साल की उम्र तक लड़कियों की शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है)

6) The government has many Laws of Anti- Sati, Anti- MTP to make the Women get employment and Status to the Women.

(महिलाओं को रोजगार और महिलाओं को दर्जा देने के लिए सरकार के विरोधी सती, एंटी-एमटीपी के कई कानून हैं)

7) The government has done Five Years Plan to look after the Education Status of the Backwards States in India.

(भारत में पिछड़े राज्यों की शिक्षा स्थिति की देखभाल के लिए सरकार ने पांच साल की योजना बनाई है)

8) The government has made the rules to get equal rights and also opportunities to the Girls for their better Future.

(सरकार ने उनके अच्छे भविष्य के लिए बालिकाओं को समान अधिकार और अवसर प्राप्त करवाने के लिए भी नियम बनाये हैं)

9) The government has created the "Operation Blackboard" for the Girls by which every Teacher gets the Higher Education for making every Students better in the Education.

(सरकार ने लड़कियों के लिए "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" बनाया है, जिसके द्वारा हर शिक्षक को शिक्षा में प्रत्येक छात्र को बेहतर बनाने के लिए उच्च शिक्षा दी जाती है)

10) A government has opened up many Balwadi crèches for caring many babies and also make them to visit the primary schools.

(सरकार ने बच्चों की देखभाल के लिए कई बलवाडी क्रेच खोल दिए हैं और उन्हें प्राथमिक विद्यालयों में भी भेजा जाता है)

11) School children are well availed with the uniforms, noon meal and educational materials and repayments to the SC and ST caste girl's families.

(विद्यालय के बच्चों को यूनिफार्म, दोपहर के भोजन और शैक्षणिक सामग्रियों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को पुनर्भूगतानों का लाभ दिया जा रहा है)

12) The Open Learning System has been established for easiness to the girls of backward areas.

(पिछड़े क्षेत्रों की लड़कियों की सुगमता के लिए ओपन लर्निंग सिस्टम स्थापित किया गया है)

13) It has been declared for the girl child that "girls must be given equal treatments and opportunities from the very beginning" to expand the opportunities for them.

(लड़की के लिए यह घोषित किया गया है कि "लड़कियों को शुरुआत से समान उपचार और अवसर दिए जाने चाहिए" ताकि उनके लिए अवसरों का विस्तार किया जा सके.)

14) The Women and Child Development Ministry had implemented a scheme called "Dhanalaksmi" to make cash transfer to the girl child family to fulfil the basic needs such as immunization, birth registration, school enrollment and maintenance up to the Class VIII.

(महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि टीकाकरण, जन्म पंजीकरण, स्कूल नामांकन और कक्षा आठवीं तक रख-रखाव को पूरा करने के लिए लड़की बाल परिवार को नकद हस्तांतरण करने के लिए "धनलक्ष्मी" नामक एक योजना को लागू किया था)



AN IIT/IIM ALUMNI COMPANY